# न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

## अपील डिक्री /टीए/5182/2001/धौलपुर

1. डा0 विमल गुप्ता पुत्र वीरेन्द्र सिंह गुप्ता जाति वैश्य निवासी 1न्यू कॉलोनी, आगरा बस स्टैण्ड, धौलपुर।
2. भरतेन्द्र सिंह गुप्ता पुत्र सरदार सिंह गुप्ता जाति वैश्य निवासी धौलपुर।

**अपीलांट्स**

**बनाम**

1. सुभाष )
2. रामदास ) पुत्रगण रामदयाल जाति वैश्य
3. प्रहलाद )
4. रामबाई पत्नी मुरारीलाल पुत्री रामदयाल वैश्य, निवासी माधवगंज लश्कर, ग्वालियर।
5. शिवगोपाल कामठान पुत्र लाला रामगोपाल कामठान जाति कायस्थ निवासी पटपरा पुराना शहर धौलपुर हाल आबाद डी.81घीया मार्ग बनीपार्क, जयपुर।
6. राजस्थान सरकार जरिय तहसीलदार, महोदय, धौलपुर।

**रेस्पोडेन्ट्स**

7. गीता पुत्री बीरेन्द्र गुप्ता पत्नि दिनेश कुमार गुप्ता जाति वैश्य निवासी 1–ए, सुरेन्द्र भवन, विजयनगर, आगरा।
8. रीता गुप्ता पुत्री बीरेन्द्र सिंह पत्नि निर्मल कुमार गुप्ता, ऋषि रेफ्रीजेशन, पालीवाल रोड क्रेसिंग, आगरा।
9. नीता गुप्ता पुत्री बीरेन्द्र सिंह पत्नि आनन्द कुमार, मैनेजर, बैंक आफ महाराष्ट्र, जिला नासिक, महाराष्ट्र।
10. मीना गुप्ता पुत्री बीरेन्द्र सिंह पत्नि संदीप कुमार गुप्ता, निवासी सरस्वती नगर, हाथीवाडा, कांकरोली जिला राजसंमद।
11. सुष्मिता गुप्ता पुत्री बीरेन्द्र सिंह पत्नि संजीव गुप्ता, निवासी 25–बी,नेटसराय, 6 नई दिल्ली।
12. कुमारी प्रेणिता गुप्ता पुत्री बीरेन्द्र सिंह द्वारा डा0 विमल गुप्ता 1न्यू कॉलोनी, आगरा बस स्टैण्ड, धौलपुर।
13. भूपेन्द्र सिंह गुप्ता पुत्र सरदार सिंह गुप्ता जाति वैश्य निवासी धौलपुर।

14. विष्णु बेन्द्र गुप्ता पुत्र सरदार सिंह गुप्ता जाति वैश्य निवासी धौलपुर।

15.अनिल कुमार गुप्ता

16. सुधीर कुमार गुप्ता

17. सुशील कुमार गुप्ता

उक्त तीनों विजेन्द्र सिंह गुप्ता जाति वैश्य निवी धौलपुर हाल निवासी 4/459, बालूगंज, आगरा।

18. निर्मल गुप्ता पत्नि लक्ष्मीनारायण गुप्ता पुत्री विरेन्द्र सिंह गुप्ता निवासी एम0एम04/50 गोमती नगर, लखनऊ।

19. नीलू गुप्ता पत्नि दिलीप गुप्ता पुत्री विरेन्द्र गुप्ता निवासी हाल 677,राजेन्द्र नगर, लखनऊ।

**तरतीबी रेस्पोडेन्टस ...**

**खण्ड पीठ**
**श्री मौहम्मद हनीफ, सदस्य**
**श्री आर. सी. गुप्ता, सदस्य**

**उपस्थित** :-

1. श्री खडगसिंह व श्री रघुनाथ सिंह अभिभाषक प्रार्थीगण के
2. श्री अशोक अग्रवाल, अभिभाषक रेस्पो0 2 के
3. श्री दुनीचन्द डिडारिया, अभिभाषक रेस्पो0 संख्या 7 ता 19 के

**दिनांक.7-2-2014**

**निर्णय**

यह द्वितीय अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (संक्षेप में अधिनियम, 1955) की धारा 224 के अन्तर्गत भू प्रबन्ध प्राधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भतरपुर कैम्प धौलपुर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 11-05-01 से व्यथित होकर प्रस्तुत की गई है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है

(क) कि वादी/प्रार्थीगण ने एक वाद अंतर्गत धारा 88 व 188 अधिनियम के अंतर्गत प्रतिवादी/अप्रार्थी के विरूद्व विचारण न्यायालय सहायक कलेकटर, धौलपुर के समक्ष बाबत आराजी मुतनाजा का खातेदार घोषित करने व प्रतिवादीगण के

विरूद्व हस्तक्षेप नहीं करने हेतु स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री पारित करने बाबत प्रस्तुत किया।

(ख) वाद विचारण अवधि के दौरान वादी सरदार सिंह की मृत्यु दिनांक 21.3.84 को हो गयी थी । मृतक वादी के वारिसान/उत्तराधिकारियों की ओर से उन्हे वादी के स्थान पर प्रतिस्थापित किये जाने हेतु दिनांक 19.6.84 को एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 22 नियम 3 सी0पी0सी0प्रस्तुत कर दिया।

(ग) उसी कार्यवाही के दौरान प्रतिवादी संख्या 1 रामदयाल की मृत्यु दिनांक 17.10.91 को हो गई थी जिसके कायम मुकाम हेतु वादीगण/प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 22 नियम 4 सी0पी0सी0 दिनांक 03. 01.92 को प्रस्तुत कर दिया लेकिन प्रार्थना पत्र मिसप्लेस होने के कारण पत्रावली पर दिनांक 23.4.92 को दर्ज किया गया।

(घ) विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर ने प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत उक्त दोनों प्रार्थना पत्रों को समयावधि से बाहर प्रस्तुत करना मानते हुये प्रार्थी/वादीगण का वाद अबेट हो जाने के कारण निरस्त कर दिया।

(ड.) विचारण न्यायालय के उक्त आदेश से व्यथित होकर प्रार्थी/वादीगण ने प्रथम अपीलीय प्राधिकारी भू प्रबन्ध प्राधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर कैम्प धौलपुर के समक्ष एक अपील प्रस्तुत की गयी। जिसे अपीलय प्राधिकारी ने विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश को उचित मानते हुये एवं वादी/प्रार्थीगण द्वारा आदेश 22 नियम 9 सी0पी0सी0 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं करने के कारण प्रार्थी/वादीगण की अपील को अपने निर्णय दिनांक 11.05.2001 से खारिज कर दी। अपीलीय प्राधिकारी के उक्त निर्णय से व्यथित होकर यह अपील राजस्व मण्डल में प्रस्तुत की गयी है।

3. उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गयी।

4. विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि वादी सरदार सिंह ने विचारण न्यायालय में प्रतिवादीगण के विरूद्व खातेदारी अधिकार एवं स्थाई निषधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया था । पत्रावली दावा एवं जवाब दावा के पश्चात तनकीयात पर कायम थी । इसी दौरान दिनांक 21.3.84 को सरदार सिंह की मृत्यु हो गयी थी । वादी की मृत्यु के पश्चात उसके वारिसान की ओर से दिनांक 19.6.84 को सी0पी0सी0 के आदेश 22 नियम 3 के अंतर्गत मृतक वादी के स्थान पर उसके कायम मुकाम को रिकार्ड पर लेने बाबत प्रार्थन पत्र प्रस्तुत किया था। उक्त प्रार्थना पत्र समयावधि में प्रस्तुत

किया था लेकिन विचारण न्यायालय ने वादी/प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायियक दृष्टांतों एवं वादी के कथन पर विश्वास नहीं करते हुये मात्र एक दिन की विलंब अवधि मानते हुये दावे का उपशमन कर दिया ।

5. वाद पत्र के विचारण अवधि के दौरान ही प्रतिवादी रामदयाल की भी मुत्यु दिनांक 17.10.91 को हो गयी थी उसके मृत्यु की जानकारी होने के पश्चात उसके विधिक उत्तराधिकारियों को रिकार्ड पर लिये जाने हेतु दिनंक 03.1.92 को सी0पी0सी0 के आदेश 22 नियम 4 के अंतर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था लेकिन न्यायालय के द्वारा प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को पत्रावली में नहीं लगाया गया जिसके पश्चात आगामी तिथी पर न्यायालय का ध्यान इस ओर आकर्षित कर आदेश पंजिका दिनांक 20.2.92 में अंकन किया गया था जिसका प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गयी थी। जिससे स्पष्ट है कि प्रार्थी के प्रार्थना पत्र दिनांक 03.1.92 को रिकार्ड पर नहीं लिया गया और मिसप्लेस हो गया था । तत्पश्चात न्यायालय की पेशी दिनांक 23.4.92 को उक्त प्रार्थना पत्र को रिकार्ड पर लिया गया। यह कि प्रार्थी के स्तर पर कोई विलंब नहीं किया गया है न ही जानबुझकर कोई देरी की गयी है। इसके अतिरिक्त उन्होने अपनी बहस में यह भी तर्क प्रस्तुत किया कि सी0पी0सी0 के आदेश 22 नियम 10ए के अंतर्गत मृतक प्रतिवादी के अधिवक्ता का यह कर्तव्य था कि वह प्रतिवादी की मृत्यु होने की दशा में न्यायालय को उसकी सूचना देता है जो उनके द्वारा नहीं दी गयी। यदि न्यायालय के स्तर पर कोई गलती या त्रुटि हुई है तो उसका खामियाजा पक्षकारान को नहीं दिया जाना चाहिए।

6. इसके अतिरिक्त उनहोने अपनी बहस में आगे कथन किया कि वादी को वाद प्रस्तुत करने के अधिकार के अंतर्गत यह दावा अबेट नहीं किया जाना चाहिए था तथा तकनीकी कारणों के आधार पर पक्षकारों के अधिकारों को निरस्त नहीं कर प्रकरण को गुणावगुण पर निर्णित किया जाना चाहिए था। सी0पी0सी0 के प्रावधान न्यायिक प्रक्रिया के संचालन के लिए बने हे जिससे न्यायिक प्रक्रिया शीघ्रताशीघ्र पूर्ण की जा सके एवं पक्षकारान के हितों को रक्षित किया जा सके। इसका उद्धेश्य पक्षकारों के हितो पर कुटराघात किया जाना नहीं है। विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस के समर्थन में 2002 आर0आर0टी0 पेज 648, 1991 आर0आर0डी0 पेज 29, 302 व 1999 आर0बी0जे0 पेज 299 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये।

7. वादी/प्रार्थीगण की ओर से अपील मीमों के साथ भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 के अंतर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि उनके स्थानीय अधिवक्ता को हस्तगत मामले में विधिक कार्यवाही /अपील करने हेतु निर्देश दिये गये थे लेकिन वह अपने पारिवारिक कारणों से उपस्थित नहीं हुये एवं प्रार्थी का स्वास्थ्य खराब हो जाने के कारण वह भी अपील प्रस्तुत करने हेतु अजमेर नहीं आ सका । जिसके कारण अपील प्रस्तुत करने में विलम्ब हो गया। अतः विलंब अवधि को क्षम्य करते हुये अपील को मियाद अवधि में मानते हुये अपील को स्वीकार किया जावे।

8. विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि

(क) विचारण न्यायालय में उनवानी सरदार सिंह बनाम रामदयाल का दावा प्रस्तुत किया हुआ था जिसमें वादी सरदार सिंह की मृत्यु दिनांक 20.3.84 को हो गयी थी । वादी/प्रार्थीगण द्वारा आदेश 22 नियम 3 सी0पी0सी0 का प्रार्थना पत्र दिनांक 19.6.84 को प्रस्तुत किया गया। प्रार्थीगण द्वारा आदेश 22 नियम 3 सी0पी0सी0 का जो प्रार्थना पत्र बाबत कायम मुकाम बनने हेतु प्रस्तुत किया था वह 90 दिवस के बाद प्रस्तुत करने के कारण मियाद बाहर था एवं उसके बाद 60 दिवस के अंदर आदेश 22 नियम 9 सी0पी0सी0 के अंतर्गत अबेटमेंट का निरस्त कराने हेतु प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत नहीं करने के कारण दावा उपशमन करने में विचारण न्यायालय ने कोई त्रुटि नहीं की है।

(ख) प्रतिवादी रामदयाल की मृत्यु भी दिनांक 17.10.91 को हो गयी थी जिसका प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 22 नियम 4 सी0पी0सी0 का भी दिनांक 23.4.92 को मियाद अवधि बाहर प्रस्तुत किया गया । विद्वान अभिभाषक ने आगे तर्क दिया कि प्रार्थीगण को दावा अबेटमेंट को निरस्त कराये जाने हेतु प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 22 नियम 9 सी0पी0सी0 प्रस्तुत करना चाहिए था जो नहीं किया गया। इसलिए अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधिसम्मत होने से अपील खारिज किये जाने योग्य है।

9. अप्रार्थीगण संख्या 7 ता 19 की ओर से उनके अभिभाषक ने बहस करते हुये तर्क प्रस्तुत किया कि अधीनस्थ न्यायालय एवं प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र पर गंभीरता से अवलोकन एवं विवेचन किये बिना ही उनको निरस्त करने में गंभीर त्रुटि की है केवल मात्र यह निष्कर्ष अंकित करते हुये कि प्रार्थना पत्र मियाद बाहर होने तथा आदेश 22 नियम 9 सी0पी0सी0 के अंतर्गत प्रार्थना पत्र बाबत दावे के उपशमन को निरस्त करने का नहीं देने से खारिज कर दिया

जबकि प्रकरण को तकनीकी आधारों की बजाय गुणावगुण के आधार पर निर्णित किया जाना चाहिए था। मृतक प्रार्थीगण द्वारा वादी सरदार सिंह की मृत्यु दिनांक 21.3.84 को हुई थी और उसके समर्थन में शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया था तथा प्रतिवादी ने इस बाबत न तो कोई काउन्टर शपथ पत्र दिया है न ही कोई जबाव दिया है और मात्र प्रतिवादी के मौखिक कथन को मानते हुये दावे को उपशमन करने में गंभीर एवं वैधानिक त्रुटि की है । उन्होने अपने कथन के समर्थन में 2007 आर0बी0जे0 पेज 498 का न्यायिक दृष्टांत पेश किया ।

10. हमने उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली एवं प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो का अवलोकन किया ।

11. हमने प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर मनन किया एवं प्रार्थीगण द्वारा अपील प्रस्तुत करने में विलंब हुये अवधि के लिए जो कारण दर्शित किये गये है वह उचित एवं संतोषजनक प्रतीत होते है । सामान्यतः ग्रमीण क्षेत्र के काश्तकार अपने अभिभाषक पर विश्वास कर और सामान्यतः उनको ही निर्देश देते हे कि उनके स्तर पर ही अपील/अपील की कार्यवाही की जावे चूंकि हस्तगत प्रकरण में स्थानीय अभिभाषक के अजमेर न आने एवं स्वयं के बीमार होने के कारण समय पर अपील प्रस्तुत नहीं की गयी जिसके बाबत शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया तथा अप्रार्थीगण की ओर से इस बाबत कोई प्रतिवाद भी नहीं किया और न ही उसके विरोध में कोई शपथ पत्र प्रस्तुत किया है। अतः उक्त अपील को स्वीकार किया जाकर विलंब अवधि को क्षमा किया जाता है।

12. हस्तगत प्रकरण में वादी सरदार सिंह ने प्रतिवादी रामदयाल के विरूद्व एक वाद प्रस्तुत किया था। वाद कार्यवाही के दौरान सरदार सिंह का देहांत दिनांक 21.3.84 को होने के कारण उसके वारिसान द्वारा मृतक वादी के स्थान पर उनके वारिसान को रिकार्ड पर लेने का प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 22 नियम 3 सी0पी0सी0 19.6.84 को प्रस्तुत कर दिया गया था इस प्रकार उनके द्वारा कायम मुकाम का प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 3 सी0पी0सी0 मय निर्धारित समय सीमा 90 दिवस में प्रस्तुत किया था। इस बाबत प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में एक शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया था जिसके खण्डन में प्रतिवादी द्वारा कोई शपथ पत्र अथवा प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया है। लेकिन बहस के दारौन प्रतिवादी की ओर से यह आपत्ति प्रस्तुत की गयी थी कि वादी सरदार सिंह

की मृत्यु 20.3.84 को हुई उसके बाद प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र 2 दिन विलंब से होने कारण वाद स्वतः ही उपशमित हो गया है। विचारण न्यायालय ने प्रतिवादी के तर्को से सहमत होते हुये प्रार्थी के प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 3 सी0पी0सी0 को खारिज कर दावे को उपशमित कर त्रुटिपूर्ण एवं अविधिक रूप से निर्णय पारित किया है। पत्रावली में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 3 सी0पी0सी0 एवं प्रार्थी के शपथ पत्र को मध्यनजर रखते हुए हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे है कि प्रार्थी द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र समय सीमा के अन्दर प्रस्तुत किया गया है।

13. इसी अवधि के दौरान प्रतिवादी रामदयाल का देहांत दिनांक 17.10.91 को हो गया था जिसके वारिसान को रिकार्ड पर लेने हेतु प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 22 नियम 4 सी0पी0सी0 दिनांक 03.01.92 को प्रस्तुत कर दिया गया था लेकिन उक्त प्रार्थना पत्र को दिनांक 03.01.92 को पत्रावली में सम्मलित नहीं किया गया एवं प्रार्थीगण के अनुसार उक्त प्रार्थना पत्र को मिसप्लेस कर दिया गया जिस कारण उनके द्वारा आगामी पेशी पर उक्त प्रार्थना पत्र को रिकार्ड पर लिये जाने की शिकायत की थी। हमने पत्रावली की आदेश पंजिका दिनांक 20.2. 92 का अवलोकन किया जिसमें इस तथ्य का उल्लेख किया था कि प्रार्थीगण द्वारा आदेश 22 नियम 4 सी0पी0सी0 का जो प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था वह पत्रावली पर नहीं है। उक्त तथ्य का अंकन पत्रावली पर किया जाना पाया जाता है तथा आगामी पेशी पर प्रार्थना पत्र को रिकार्ड पर लेने का निर्देश दिया गया। तत्पश्चात प्रार्थना पत्र मिसप्लेस हो जाने के कारण पुनः दिनांक 23.4.92 को रिकार्ड पर लिया गया । यहां यह उल्लेख करना उचित होगा की प्रतिवादी की ओर से दिनांक 20.2.92 की आदेश पंजिका में प्रतिवादी की ओर से कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गयी । यहां यह भी उल्लेख करना उचित होगा कि पत्रावली की आदेश पंजिका से यह विदित नहीं होता है कि मृतक प्रतिवादी के अधिवक्ता द्वारा न्यायालय को आदेश 22 नियम 10ए के प्रावधानों के अंतर्गत प्रतिवादी की मृत्यु की सूचना दी गयी हो । यदि प्रार्थी के स्तर पर प्रार्थना पत्र को प्रस्तुत करने में कोई विलंब भी होता तो वह उक्त प्रावधानों का सहारा ले सकता था। अतः प्रथम दृष्टया यही प्रमाणित होता है कि प्रार्थी द्वारा दिनांक 03.01.92 को मृतक प्रतिवादी के वारिसान को रिकार्ड लिये जाने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिया था ।

14. हमने सी0पी0सी0 के आदेश 22 नियम 3, 4 एवं आदेश 22 नियम 9 का अवलोकन किया है आदेश 22 नियम 3 व 4 के अंतर्गत यदि वादी अथवा

प्रतिवादी की मृत्यु हो जाती है तो कायम मुकाम को रिकार्ड पर लेने के संबंध में प्रार्थना पत्र 90 दिवस के अंदर प्रस्तुत किया जाना चाहिए और 90 दिवस का समय समाप्त होने पर वाद/अपील स्वतः ही अबेट हो जाती है लेकिन उक्त प्रावधान बाध्यकारी प्रावधान नहीं है बल्कि निर्देशात्मक प्रावधान है जिन्हें न्यायालय संतुष्ट होने पर प्रकरण के गुणावगुण को ध्यान में रखते हुये छुट दे सकता है एवं विलंब की अवधि को क्षमा कर सकता है। उपरोक्त विवेचन से यह भी स्पष्ट होता है कि प्रार्थीगण की ओर से आदेश 22 नियम 3 व 4 के कायम मुकाम के प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये गये है वह समय पर प्रस्तुत किये है। जिनमें कोई विलंब होना नहीं पाया जाता है जहां तक आदेश 22 नियम 4 का मिसप्लेस होने का प्रश्न है इस हेतु विभिन्न न्यायालयों ने अपने निर्णयों में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि न्यायालय के स्तर पर हुई त्रुटि का नुकसान पक्षकारान को नहीं दिया जा सकता । राजस्व अपील प्राधिकारी ने उपरोक्त प्रार्थना पत्रों के निस्तारण करते समय केवल मात्र इस आधार पर खारिज कर दिया कि प्रार्थीगण द्वारा वाद उपशमन हो जाने के पश्चात आदेश 22 नियम 9 सी0पी0सी0 का प्रार्थना पत्र दावे के उपशमन को निरस्त करने हेतु नहीं दिया गया था जबकि माननीय उच्चतम न्यायालय एवं विभिन्न उच्च न्यायालयों द्वारा यह सिद्धान्त प्रतिवादी किया हे कि केवल तकनीकी कारणों पर प्रकरण को निर्णित नहीं किया जाना चाहिए उसे गुणावगुण के आधार पर निर्णित किया जाना चाहिए।

15. हमने प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का भी अवलोकन करना उचित होगा ।

**आर0आर0डी0 1991 पेज 302** घीसा बनाम श्रीमती कैलाशी के प्रकरण में माननीय राजस्व मण्डल ने यह अभिनिर्धारित किया है कि ए0आई0आर0 1983 (एस0सी0) पेज 355 व 1202 में प्रतिपादित सिद्धान्तो को ध्यान में रखते हुये आदेश 22 सी0पी0सी0 की व्याख्या उदारतापूर्वक की जानी चाहिए वह केवल मात्र तकनीकी त्रुटि अथवा दोष के आधार पर किसी पक्षकार को न्याय प्राप्त करने से वंचित नहीं किया जाना चाहिए।

माननीय राजस्व मण्डल ने **आर0आर0डी0 1991 पेज 29** खगोलराम के विधिक प्रतिनिधि बनाम ग्यारसीराम के प्रकरण में यह अभिनिर्धारित किया है कि मृतक प्रतिवादी के विधिक प्रतिनिधियों को पक्षकार बनाये जाने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था लेकिन वह न्यायालय के स्तर पर गुम हो गया था जिसके

कारण प्रार्थी द्वारा मियाद अवधि के बाद पुनः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिसे विचारण न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया । उक्त न्यायिक प्रकरण में माननीय एकलपीठ ने यह अभिनिर्धारित किया था कि न्यायालय की गलती का दण्ड पक्षकारों को नहीं दिया जा सकता और प्रार्थी द्वारा आदेश 22 नियम 4 सी0पी0सी0 का प्रार्थना पत्र के गुम होने के कारण को अविश्वनीय नहीं माना जा सकता और आदेश 22 नियम 4 सी0पी0सी0 के प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर मृतक प्रतिवादी के विधिक वारिसान को पक्षकार बनाये जाने की अनुमति दी गयी।

16. हस्तगत प्रकरण में भी प्रकरण के तथ्य उक्त न्यायिक दृष्टांत के कथनो से समानता रखते है । प्रार्थी द्वारा समयावधि के अंतर्गत मृतक प्रतिवादी के वारिसान को पक्षकार बनाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिया था तथा आगामी पेशी पर प्रार्थना पत्र पत्रावली में न होने बाबत न्यायालय को अवगत करा दिया था जिसका उल्लेख पत्रावली की आदेश पंजिका दिनांक 20.2.92 में अंकित है और इस बाबत शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया है तथा इसके खण्डन में प्रतिवादी के वारिसान द्वारा कोई शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं किया है। अतः न्यायालय के स्तर पर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 4 सी0पी0सी0 के गुम हो जाने का नुकसान प्रार्थी को नहीं दिया जा सकता। विचारण न्यायालय एवं अपीलीय न्यायालय ने उक्त तथ्यों पर विवेचन न कर गंभीर त्रुटि की है।

न्यायिक दृष्टांत **1999 आर0बी0जे0 (6) पेज 299** मन्ना बनाम मूर्ति श्री बडे मथुरेश जी के न्यायिक दृष्टांत में माननीय मण्डल की खण्ड पीठ ने यह अभिनिर्धारित किया है कि आदेश 22 नियम 3 सी0पी0सी0 के के प्रार्थना पत्र में हुई विलंब अवधि पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर क्षमा किया जाकर प्रकरण को गुणावगुण पर निर्णित किया जाना चाहिए ।

न्यायिक दृष्टांत **आर0बी0जे0 (14) 2007 पेज 498** श्योलाल बनाम दुलाराम के प्रकरण में माननीय राजस्व मण्डल ने यह अभिनिर्धारित किया है कि केवल मात्र तकनीकी आधार पर प्रकरण को निर्णित नही कर जहां तक संभव हो सके किसी वाद/अपील को गुणावगुण पर निर्णित किया जाना चाहिए। उक्त प्रकरण में विचारण न्यायालय अपने आदेश दिनांक 05.12.85 में वादी हरिराम की मृत्यु के पश्चात उसके कायम मुकाम को रिकार्ड पर लेने बाबत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर दिनांक 05.12.85 का आदेश देते हुये अत्यंत ही हाईपर टैक्नीकल दृष्टिकोण अपनाते हुये देरी को क्षमा किये बिना दावा अबेट किया है।

17. हमारे विनम्र मत में उपरोक्त न्यायिक दृष्टांत वादी/प्रार्थी एंव अप्रार्थी संख्या 7 ता 19 के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्को का समर्थन करते है।

**2008 (3) Civil Court Cases, page 766** पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय उनवानी लक्ष्मी देवी व अन्य बनाम जिला न्यायाधीश, बयाना में यह सिद्धान्त अभिनिर्धारित किया गया है।

> Civil Procedure Code, 1908, O.22 Rule 3 & 9& S.151, Limitation Act, 1963, S. 5- LR's not brought on record within time- Application U.O 22 Rule 9 not filed - Instead application U.O 22 R. 3 and a separate application u/s 5 Limitation Act filed - Held, such technical objections should not come in doing full and complete justice between the paries- Applicatoin U.O.22 Rule 3 & application u/s 5 Limitaiton Act allowed.

**2004 AIR (SC) page 4346** पर माननीय सर्वोच्य न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में यह सिद्धान्त अभिनिर्धारित किया गया है।

> Order rejecting application on ground that no prayer for setting aisde abatement of appeal was made and there was also no prayer for condonation of delay - Liable to be set aside - Such technical objections should not come in way of doing justice.

**2005(1) Civil Court Cases, page 627** पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में यह सिद्धान्त अभिनिर्धारित किया गया है।

> Civil Procedure Code, 1908, O.22 Rule 3- Appeal - Death of appellant during the pendency of appeal -Applicant came to know about pendency of appeal when he received a communication from Advocate engaged by his father - Applicaton rejected on the ground that there was no prayer for setting aside abatement of appeal nor for condonation of delay- Applicant therefore filed separate applications

which were also rejected - Held, such technical objections should not come in doing full and complete justice between the parties. LR's allowed to be brought on record.

18. उपरोक्त न्यायिक दृष्टांतों में माननीय न्यायालयों द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि केवल तकनीकी आपत्तियों के आधार पर वाद को उपशमन नहीं किया जाना चाहिए बल्कि न्यायहित में सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुये पक्षकारों को रिकार्ड पर लेने की अनुमति दी जानी चाहिए जिससे पक्षकारों को पूर्ण न्याय मिल सके। विद्वान अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत हस्तगत प्रकरण पर पूर्णरूप से चस्पा होते है

19. उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 22 नियम 3 व 4 सी0पी0सी0 बाबत कायम मुकाम को रिकार्ड पर लिये जाने हेतु प्रस्तुत किये, को विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर, धौलपुर ने अपने निर्णय दिनांक 22.01.93 के द्वारा हाईपर टैक्नीकल दृष्टिकोण अपनाते हुये देरी को क्षमा किये बिना दावा अबेट किया है जबकि उक्त आवेदन पत्र मियाद अवधि में ही प्रस्तुत किये गये थे। इसी अनुरूप प्रथम अपीलीय न्यायालय भू प्रबन्ध प्राधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर कैम्प धौलपुर ने भी प्रार्थी/प्रतिवादी के प्रति सहानुभूतिपूर्वक विचार किये बिना एवं प्रकरण को गुणावगुण निर्णित नहीं कर केवल तकनीकी आधार पर अपने निर्णय दिनांक 11.5.2001 के द्वारा विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में कोई हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझकर एक विधिक त्रुटि की है।

20. अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर, धौलपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22.01.93 एवं प्रथम अपीलीय न्यायालय भू प्रबन्ध प्राधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर कैम्प धौलपुर के द्वारा पारित निर्णय दिनांक 11.5.2001 को अपास्त किया जाता है तथा आदेश 22 नियम 3 एवं 4 का प्रार्थना पत्र बाबत कायम मुकाम स्वीकार कर मृतकों के विधिक वारिसानों को रिकार्ड पर लिये जाने का आदेश दिया जाता है।

21. पत्रावली के अवलोकन से यह भी विदित होता है कि उक्त वाद वर्ष 1979 में न्यायालय सहायक कलेक्टर, धौलपुर के यहां दर्ज हुआ तथा वर्ष 1984 तक तनकीयात पर विचाराधीन था उसके पश्चात सूक्ष्म तकनीकी कारणों पर ही आदेश 22 नियम 3 व 4 के प्रार्थना पत्र के निस्तारण में लगभग 18–19 वर्ष का समय व्यतीत हो चुका है जो एक अप्रत्याशित विलंब है। अतः विचारण न्यायालय को यह आदेश भी दिया जाता है कि वह उक्त प्रकरण में दिन प्रतिदिन की पेशी नियत करते हुये प्रकरण का निस्तारण 6 माह में किया जाना सुनिश्चित करे। पक्षकारान को सूचित किया जाता है कि वह विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 12.03.14 को अपनी उपस्थिति आवश्यक रूप से देवे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

**(आर0सी0गुप्ता)**
**सदस्य**

**(मौहम्मद हनीफ)**
**सदस्य**